सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पार्क एवं जैव ऊर्जा प्लांट्स के निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की

बैठक दिनांक 03.01.2024 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः-

1. श्री प्रशांत शर्मा, विशेष सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनुपम शुक्ला, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
3. श्री आर0पी0 सिंह, उप सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री राजेश कुमार, बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0।
6. श्री अनुराग चोखानी, जनरल मैनेजर, अवादा इण्डसोलर प्रा0लि0 नई दिल्ली।

बैठक में निम्नलिखित जनपदों के अधिकारीगण तथा फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया :-

1622

SPO-I Ajai

01/2/24

निदेशक
यूपीनेडा

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. श्री मनोज कुमार पावा, पेट्रोनेट।
5. श्री मृणाल कुमार सिन्हा, एच0पी0सी0एल0।
6. उपजिलाधिकारी, बिन्दकी।
7. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
8. एन0आई0सी0, कानपुर देहात।

बैठक में निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा जनपद जालौन एवं बांदा में 02 सौर ऊर्जा पार्क/प्रोजेक्ट्स की स्थापना तथा 03 जनपदों में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा जनपदवार परियोजनाओं के संबंध में निम्नवत विचार किया गयाः-

(क) सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. जनपद-जालौन

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड) का संयुक्त उपक्रम द्वारा जनपद जालौन में 1200 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जनपद-जालौन की तहसील-माधौगढ़ के ग्राम-बहराई, बिलोहा, जालौन खुर्द, कंझारी, कोटा दीवारा, नीनावली कोठी, पतराही, पुरा, सिलौआ जागीर, सुलतानपुरा जागीर एवं बिलौंड में कुल 1181 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित 1181 एकड़ सरकारी भूमि को जिलाधिकारी, जालौन द्वारा आदेश सं0- 473 दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 478, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0-480, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 479, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 482, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 476, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 476, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 475, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 474, दिनांक 13.12.2023, आदेश सं0- 481, दिनांक 13.12.2023 एवं आदेश सं0- 489, दिनांक 22.12.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है। बीएसयूएल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावाट जालौन सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा को ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय किया जायेगा।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 1200 मेगावाट जालौन सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 1181 एकड़ सरकारी भूमि बीएसयूएल लिमिटेड को रू0 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. जनपद-बांदा

(क) निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा जनपद बांदा में 70 मेगावॉट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना जानी है। अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु जनपद-बांदा की तहसील-पैलानी के ग्राम-अलौना में 29.98 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गयी है। जिलाधिकारी बांदा द्वारा आदेश पत्र संख्या 15/12-भूमि व्यवस्था-बांदा, दिनांक 03.11.2023 से चिन्हांकित 29.98 एकड़ सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दी गयी है। प्रस्तावित 70 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट से उत्पादित विद्युत को मे0 अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 द्वारा ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय किया जायेगा।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 70 मेगावाट बांदा सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु चिन्हांकित 29.98 एकड़ सरकारी भूमि मे0 अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 को रू0 15000/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत निवेशकों को सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु भूमि लीज पर उपलब्ध करायें जाने के प्राविधान तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0- 1050/87-अति0ऊ0सो0वि0 /2023, दिनांक 03.08.2023 तथा शासनादेश सं0- 23/2023/अमुस-330/ एक-1-2023-रा0-1, दिनांक 10.10.2023 के अन्तर्गत निम्नानुसार जनपदों में भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत हो गयी है :-

S. No.	District	Tehsil	Village	Gata no.	Land available (Area in acres)	Land to be allotted (Area in acres)
1.	Fatehpur	Bindaki	Chandpur III	4402 Gha, 4403 Ga, 4533 & 4532 MI	16.23	16.23
2.	Kanpur Dehat	Akbarpur	Rashanmau & Sarsi	182 Anga, 700, 701, 702 & 703	15.38	15.38
3.	Bareilly	Fareedpur	Semorah Keshavpur	85	17.93	17.93

1. फतेहपुर

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत 07 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु मे0 पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 द्वारा जनपद-फतेहपुर में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद-फतेहपुर की तहसील-बिन्दकी के ग्राम-चांदपुर-III में कुल 16.23 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र सं0- 2146/रा0नि0कार्या0/2023-24, दिनांक 12.10.2023 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि मे0 पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 एक मात्र फर्म है, जिसने जनपद- फतेहपुर के बिन्दकी तहसील हेतु आवेदन किया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 07 टी0पी0डी0 की क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु चिन्हांकित 16.23 एकड़ सरकारी भूमि मे0 पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 को रू0 15000/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. जनपद- कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत 07 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु मे0 पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 द्वारा जनपद-कानपुर देहात में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद-कानपुर देहात की तहसील-अकबरपुर के ग्राम-रोशन मऊ एवं सरसी में कुल 15.38 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र सं0- 1253/डी0एल0आर0सी0-का0दे0-जै0ऊ0नीति/2023, दिनांक 30.10.2023 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि मे0 पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 एक मात्र फर्म है, जिसने जनपद- कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील हेतु आवेदन किया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 07 टी0पी0डी0 की क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु चिन्हांकित 15.38 एकड़ सरकारी भूमि मे0 पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 को रू0 15000/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. जनपद- बरेली

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत 05 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा जनपद-बरेली में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद-बरेली की तहसील-फरीदपुर के ग्राम-सिमरा कैशोपुर में कुल 17.93 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी, बरेली के पत्र सं0-389/सात-डी0एल0आर0 सी0/2023, दिनांक 16.10.2023 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गई है।

उल्लेखनीय है कि जनपद-बरेली की तहसील- फरीदपुर के लिए 03 फर्मों क्रमशः मे0 कार्बन सर्किल प्रा0लि0, मे0 ध्रुवा बायो-फ्यूल प्रा0लि0 एवं मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा आवेदन किया गया है, परन्तु मे0 कार्बन सर्किल प्रा0लि0 एवं मे0 ध्रुवा बायो-फ्यूल प्रा0लि0 की परियोजनाओं के लिए स्वयं की भूमि उपलब्ध है तथा इन परियोजनाओं को राज्य स्तरीय समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया जा चुका है। अतः सम्बन्धित भूमि को प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के अनुसार मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 05 टी0पी0डी0 की क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु चिन्हांकित 17.93 एकड़ सरकारी भूमि मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को रू0 1/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संख्या : \39 /87-2023/अति0ऊ0स्रो0वि0/
लखनऊ : दिनांक 3\ जनवरी, 2024

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी।
4. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. उपरोक्तानुसार सम्बन्धित फर्म। (यूपीनेडा द्वारा)
6. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव